

(18)



## जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू

पलामू, समाहरणालय परिसर (सी) ब्लॉक, मेदिनीनगर- 822101 ई-मेल:-[mdm.palamau@gmail.com](mailto:mdm.palamau@gmail.com)



पत्रांक-245...../

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
पलामू।

सेवा में,

प्राचार्य,  
सनातन विद्या निकेतन,  
गोदरमा, रेहला विश्रामपुर, पलामू।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ! 15.02.2024  
के धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य  
बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन  
विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 11.06.2020 को वर्ग 01 से 08 तक के  
RAE के तहत मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन कार्यालय में समर्पित की गई  
एवं झारखण्ड सरकार के वेबसाइट <https://rte.jharkhand.gov.in> पर आपके द्वारा  
ऑनलाईन आवेदन किया गया। जिसमें विद्यालय से संबंधित सम्पूर्ण डाटा इन्ट्री  
की गई। जिसका सत्यापन करने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के द्वारा  
तीन सदस्यीय जांच दल गठित की गई। जांच दल के द्वारा जांच प्रतिवेदन के  
आधार पर जिला प्राथमिक शिक्षा समिति, पलामू के द्वारा दिनांक 15.02.  
2024 को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सनातन विद्यालय निकेतन  
गोदरमा रेहला विश्रामपुर, पलामू को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कक्षा 01  
से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की ससूचना दी जाती है -

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है -

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।

Secretary  
Jharkhand Sahitya Akademi  
Patna



7. विद्यालय निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा -

- (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जाएगा।
  - (iii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशुक्ता गस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहताएँ के अनुरूप किया जाएगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताएँ अर्जित कर लेंगे।
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्धियों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं -

- (i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 1.15 एकड़
- (ii) कुल निर्मित क्षेत्र - 30 डिसमिल
- (iii) क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 85 डिसमिल
- (iv) कक्षाओं की संख्या - 11
- (v) प्राध्यापक -सह- कार्यालय -सह- भंडागार के लिए कक्ष - 03
- (vi) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- हॉ (बालक-09/ बालिका-09)

(vii) पेयजल सुविधा - हॉ

(viii) मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (निजी विद्यालय)

(ix) बाधारहित पहुंच - हॉ

(x) अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूल उपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता- हॉ

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई और-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य

Signature  
16.04.25

Secretary

Sanatan Vidya

Godari

11.

Sanatan Vidya  
Godari



14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

17. चाहरदिवारी, सी0सी0टी0वी0, रनिंग वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, अग्निशमन एवं तड़ित चालक होना चाहिए।

18. आर0टी0ई0 मानक के अनुरूप प्राथमिक कक्षा के लिए न्यूनतम इंटर व समतुल्य योग्यता के साथ दो वर्षीय डी.एल.ई.डी./समतुल्य प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। Teacher Eligibility Test अनिवार्य है। शिक्षक अहर्ता के संबंध में राज्य सरकार/एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।

कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्नातक व समतुल्य के साथ बी0एड0 समतुल्य डिग्री प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। Teacher Eligibility Test वांछित है। शिक्षक अहर्ता के संबंध में राज्य सरकार/एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।

19. आर0टी0ई0 नियमावली के अनुसार सभी विद्यालयों के लिए कम से कम सात सदस्यों का एक अलग प्रबंध समिति का गठित होना अनिवार्य है। प्रबंध समिति में शिक्षक एवं अभिभावक प्रतिनिधि होना अनिवार्य है।

20. नामांकन प्रारिथति

छात्र : शिक्षक अनुपात

(क) प्राथमिक विद्यालय :-

(i) यदि 120 से कम छात्र हो तो 30 छात्र पर एक शिक्षक


(ii) यदि 121 से अधिक एवं 200 के मध्य हो तो कम से कम पांच शिक्षक


(iii) यदि 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक न हो।


(ख) मध्य विद्यालय :-

(i) वर्ग 6 से 8 तक के लिए 35 छात्र पर एक शिक्षक।


आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 2024/2002/0005 है।

  
Principal  
Sanatan Vidya Niketan  
Godarma

  
Secretary  
Sanatan Vidya Niketan  
Godarma

  
District Education Officer  
Sanatan Vidya Niketan  
Godarma

विश्वासभाजन

  
District Education Officer  
Sanatan Vidya Niketan  
Godarma